कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–प्रारं/नियु–2/982/टीजीटी/2016/ दिनांक 02.04.18

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती, 2016 (संशोधित) नॉन टीएसपी क्षेत्र लेवल–द्वितीय अंग्रेजी के आरक्षित सूची (waiting list) से नव चयनित 412 अभ्यर्थियों हेतु दस्तावेज सत्यापन के संबंध में निर्देश–

राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती, 2016 (संशोधित) (नॉन टीएसपी क्षेत्र) के लेवल–द्वितीय अंग्रेजी के चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का जिला परिषदों के स्तर पर सत्यापन के समय अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के कारण रिक्त रहे पदों की सीमा तक आरक्षित सूची (waiting list) से चयनित अभ्यर्थियों की वर्गवार कट ऑफ एवं चयन सूची व अन्य निर्देश दि. 28.03.18 को जारी कर विभागीय वेब साईट www.education.rajasthan.gov.in/elementary पर अपलोड की गई थी व राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति दिनांक 28.03.18 प्रकाशित करवाकर उक्त आरक्षित सूची से लेवल–द्वितीय अंग्रेजी के चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया गया था कि उनके दस्तावेज सत्यापन हेतु आवेदन पत्र मय संलग्नक दिनांक 04.04.2018 एवं 05.04.2018 तक कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर में प्राप्त किये जायेंगे।

उक्त चयनित अभ्यर्थी निम्नांकित दस्तावेजों (मूल व फोटो प्रति) सहीत दिनांक 04 व 05 अप्रेल 2018 को इस कार्यालय में उपस्थित होवें–

01. अभ्यर्थी द्वारा भरे जाने वाला विवरण पत्रक
02. राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती, 2016 (संशोधित) (नॉन टीएसपी क्षेत्र) के लेवल–द्वितीय अंग्रेजी हेतु भरे गये आवेदन पत्र की प्रति।
03. माध्यमिक/समकक्ष की अंकतालिका
04. उच्च माध्यमिक /समकक्ष की अंकतालिका
05. स्नातक/समकक्ष की अंकतालिका
06. बीएसटीसी/बीएड/समकक्ष की अंकतालिका
07. जाती प्रमाण पत्र (एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी) जो पिता के नाम से जारी हो

    नोटः– ओबीसी का प्रमाण पत्र वैद्य अवधि का होना चाहिए

08. शारीरिक विकलांकता प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी होना आवश्यक है)
09. विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ पत्र एवं पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
10. विवाह विच्छिन्न होने पर न्यायालय निर्णय/डीक्री
11. आरटेट/रीट प्रमाण पत्र
12. विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 13.1 के अनुसार आवेदक का घोषणा पत्र (50 रूपये के नॉन ज्यूडीशल स्टाम्प पर)
13. विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 13.2 के अनुसार आवेदक का शपथ पत्र (50 रूपये के नॉन ज्यूडीशल स्टाम्प पर)
14. विवाहित होने संबंधी पंजीयन प्रमाण/शपथ पत्र
15. विवाहित होने पर संतान संबंधी घोषणा पत्र
16. विवाह के समय दहेज प्राप्त नहीं करने संबंधी स्व घोषणा
17. किसी भी प्रतियोगिता/पात्रता परिक्षा से वंचित नहीं किए जाने संबंधी स्व घोषणा
18. अभ्यर्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होने/नहीं होने संबंधी स्व घोषणा

समस्त अभ्यर्थी उपरोक्त क्रम में दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां सत्यापन के समय प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक दस्तावेज पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने साथ आधार कार्ड/पहचान पत्र आवश्यक रूप से साथ में लावें।

निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

50/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करें

13.1 आवेदक द्वारा घोषणा

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... घोषणा करता/करती हूं कि :–

1. मैंने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के संबंधित भर्ती नियमों के लिए निर्धारित सामान्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है। जिनकी पालना करने के लिए मैं बाध्य हूँ।
2. मैं किसी भी स्थिति में जमा शुल्क लौटाने के लिए नहीं कहूँगा/कहूँगी।
3. मुझे किसी भी अपराधिक कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय ने कभी दण्डित नहीं किया है।
4. (अ) किसी गलती या विवाद की स्थिति में पहले मैं प्रकरण संबंधी पूर्ण वस्तुस्थिति के साथ निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राज0 बीकानेर में प्रतिवेदन भेजूंगा/भेजूंगी और 30 दिवस में मामले का निस्तारण न होने के पश्चात् ही न्यायालय से न्याय प्राप्ति हेतु कार्यवाही करूंगा/करूंगी।
   (ब) यदि मैंने अकारण अथवा वास्तविक तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर निदेशालय के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर किया तो निदेशालय को समुचित मुआवजा देने को बाध्य होऊँगा/होऊँगी।
5. मैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिसूचना दिनांक 23, अगस्त 2010 सपठित (29 जुलाई 2011) के संशोधित मापदण्डानुसार, NCTE की Guidelines व राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार नियुक्ति की पात्रता रखता/रखती हूँ।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित प्रमाण पत्र वैध अवधि का है।
7. आवेदन पत्र मे कमी, त्रुटि होने, तथ्य छिपाने, गलत तथ्य देने की वजह से आवेदन पत्र/पात्रता नहीं रखने पर किसी भी स्तर पर निरस्त किये जाने हेतु मेरी सहमति है।
8. **मैं डाऊनलोड किया हुआ आवेदन–पत्र, घोषणा पत्र, शपथ–पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेज स्वयं के पास सुरक्षित रखूंगा/रखूंगी, जिन्हें कार्यालय द्वारा मंगवाये जाने पर निर्देशानुसार जमा करा दूँगा/ दूँगी।**
9. मेरे मूल दस्तावेजों का अन्तिम सत्यापन नियुक्ति देने वाली संस्था द्वारा किया जायेगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाया जाये तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
10. मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि निर्धारित पात्रता प्राप्त होने अथवा योग्यता सूची में शामिल होने से ही मुझे अध्यापक पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
11. मुझे यह जानकारी है कि विज्ञप्ति में वर्णित शर्तो के अनुसार पात्रता होने की स्थिति में ही भर्ती हेतु पात्र माना जाऊंगा/जाऊंगी।
12. मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि मेरे किसी भी दस्तावेज का इस भर्ती से पूर्व सत्यापन नहीं किया गया है। समस्त वांछित मूल दस्तावेज मैं नियुक्ति के समय नियोक्ता संस्था के समक्ष प्रस्तुत कर दूँगा/दूँगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

स्थान :...

दिनांक :...

फोन नम्बर मय कोड :...

मोबाईल नम्बर :...

50/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करें

13.2 आवेदक का शपथ–पत्र

मैं.. पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ....
उम्र...................... जाति...निवासी.. व्यवसाय...
शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि –

- मैंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 23, अगस्त 2010 व संशोधित अधिसूचना 29 जुलाई 2011 एवं इस विज्ञप्ति में दिये गये निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन कर लिया है तथा मैं अध्यापक नियुक्ति की न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता रखता/रखती हूँ।
- मैं निशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 2 के खण्ड (ढ) में सन्दर्भित स्कूलों में अध्यापक के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताऐं रखता/रखती हूँ। मेरे द्वारा भरे आवेदन–पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों में यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि मैं न्यूनतम योग्यता नहीं रखता/रखती हूँ अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं या झूठा शपथ–पत्र दिया गया है तो मैं राज्य सरकार द्वारा अध्यापक पद के लिये विज्ञापित किसी भी नियुक्ति के लिये अयोग्य माना जाऊँगा/मानी जाऊँगी।
- मुझे किसी भी अपराधिक कृत्य के लिये किसी भी न्यायालय द्वारा कभी दण्डित नहीं किया गया है।
- किसी गलती या विवाद की स्थिति में, मैं अपना प्रतिवेदन निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रस्तुत करूँगा/करूँगी। 30 दिन तक भी प्रकरण का निस्तारण नहीं होने के बाद ही न्यायालय में न्याय प्राप्ति हेतु कार्यवाही करूँगा/करूँगी।
- मेरे मूल दस्तावेजों का सत्यापन नियुक्ति देने वाली संस्था द्वारा किया जावेगा। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।
- मैं इस तथ्य से भली–भाँति अवगत हूँ कि भर्ती हेतु मेरिट लिस्ट में शामिल होना भर्ती के लिए एक आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड हैं। मात्र इस कारण से मुझे अध्यापक पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम : ....

स्वसत्यापन

मैं... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ....
उम्र.................. जाति......................निवासी..................................... व्यवसाय...
सत्यापन करता/करती हूँ कि उक्त शपथ–पत्र में अंकित सभी कथन मेरी जानकारी एवं निष्ठा के अनुसार सही एवं सत्य हैं। इसमें मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है।

हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम : ....

मोबाईल नम्बर :.......................................

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती, 2016 (संशोधित) नॉन टीएसपी क्षेत्र लेवल–द्वितीय अंग्रेजी के आरक्षित सूची (waiting list) से नव चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विवरण–

मैरिट नं.............................. प्राप्तांक................................

01. अभ्यर्थी का नाम.. 02. चयनित वर्ग..

03. पिता का नाम.. 04. लिंग..

05. विशेष वर्ग–(विधवा/परित्यकता/विकलांग/भू.पू. सैनिक/उत्कृष्ठ खिलाड़ी/विशेष शिक्षक)

06. जन्म तिथि (सैकेण्डरी प्रमाण पत्र के अनुसार)..

07. आयु में छूट का प्रकरण है तो कारण..

08. योग्यता शैक्षिक/प्रशैक्षिक–

क्र.सं.	योग्यता	उत्तीर्ण दिनांक	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	वि.वि.
1	स्नातक (ऐच्छिक विषय लिखें) 1. 2. 3. 4. अतिरिक्त–		(एडिशनल हो तो दोनों का योग)	(एडिशनल हो तो दोनों का योग)			
2.	बी.एस.टी.सी.						
3.	बी.एड./शिक्षा शास्त्री						
स्नातक में सामान्य वर्ग के 50 प्रतिशत से कम व अन्य के 45 प्रतिशत से कम अंक हो तो बी.एड. में प्रवेश की दिनांक लिखें:–...							
4.	आरटेट/रीट में प्राप्तांक प्रतिशत (विषय लिखें) 1. 2. 3.				आरटेट/रीट प्राप्तांक प्रतिशत का 70%		
5.	स्नातक में प्राप्तांक प्रतिशत				स्नातक में प्राप्तांक प्रतिशत का 30%		
6.	कुल प्राप्तांक						

09. विवाहित/अविवाहित–..

10. विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र/शपथ पत्र–..

11. (1) संतान संबंधी शपथ–पत्र (2) विज्ञप्ति के बिन्दु सं0 13.1 आवेदक का घोषणा पत्र
(3) विज्ञप्ति के बिन्दु सं0 13.2 आवेदक का शपथ पत्र

12. निःशक्तजन यदि है तो वर्ग लिखें–

13. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा भरा गया उपरोक्त विवरण पूर्णतया सही है, मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कमी/त्रुटि के लिये मैं स्वंय जिम्मेदार हूँ। गलत/कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर विभाग मेरे विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

आवेदक के हस्ताक्षर

14. आवेदन पत्र में कमी (यदि हां) उल्लेख करते हुए स्वीकार/अस्वीकार किए जाने की संक्षेप में अंतिम टिप्पणी करें–..

....

....

आवेदन पत्र सत्यापन/जांच दल के हस्ताक्षर

1. 2.

3.